

अनुबंध खेती व्यवस्था के तहत किसानों/उत्पादकों के वित्तपोषण हेतु योजना

किसान जो अनुबंध खेती में लगे हुए हैं को मियादी ऋण और/या कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए ।

मार्जिन: 0-15%

जमानत: टाई-अप व्यवस्था के तहत वित्त पोषण के लिए रुपये 3 लाख तक कोई संपार्श्विक नहीं (कंपनी के कॉर्पोरेट गारंटी के अधीन) ।

नोट : अधिक जानकारी के लिए कृषि बैंकिंग लिंक में - किसान - कृषि ऋण योजनाएं